



उन्नाव पुलिस
आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 17.09.2021

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव।

दुष्कर्म के अभियोग में वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों की रोकथाम एवं संबन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ में दिनांक 16/09/2021 को पंजीकृत मु0अ0सं0 346/2021 धारा 376D/506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 IT ACT थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।



संक्षिप्त विवरण:- घटनाक्रम इस प्रकार है कि आज से लगभग 03 से 04 माह पूर्व ग्राम सिरधरपुर की नाबालिग बच्ची के साथ उसी गांव में अपने ननिहाल में रह रहे अभियुक्त पिंटू कश्यप द्वारा अपनी मंगेतर के सक्रिय सहयोग से गांव में स्थित मक्के के खेत में दुराचार किया गया एवं पीड़िता को घटना किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। महत्वपूर्ण यह है कि उक्त घटना का वीडियो मुख्य अभियुक्त की मंगेतर द्वारा बनाया गया था। उक्त वीडियो को पड़ोस के सोनू कश्यप द्वारा मोबाइल चार्ज किये जाने के दौरान प्राप्त कर लिया गया तथा उसे दिखाकर घटना की पीड़िता तथा अभियुक्त पिंटू कश्यप की मंगेतर पर गलत काम करने हेतु दबाव बनाया जा रहा था और उनके राजी ने होने पर उक्त वीडियो को सोनू कश्यप द्वारा वायरल कर दिया गया। जिसकी जानकारी कल दिनांक 16/09/2021 को होने पर पीड़िता के परिवारीजनों द्वारा लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिस पर त्वरित कार्यवाही करने हुये पुलिस द्वारा घटना से जुड़े प्रत्येक तथ्यों को गहराई से जानकारी करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुये घटना से जुड़े तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त घटना की गम्भीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने विशेष मार्ग दर्शन में विवेचना में विवेचक को अधिकतम वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हुये विवेचना करने हेतु आदेशित किया गया है। जिससे सम्बन्धित अभियुक्तों को कठोरतम सजा दिलाई जा सके। इस क्रम में विवेचक द्वारा अभियुक्त सोनू कश्यप का मोबाइल कब्जे में लेकर, उसमें मौजूद वीडियो को संरक्षित करते हुये मोबाइल को सील सर्व मोहर कर कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला रवाना किया जा रहा है, ताकि संरक्षित साक्ष्यों को प्रमाणिक रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसके अलावा घटना के समय अभियुक्तों द्वारा जमीन पर बिछाई गयी चुनरी, मौके पर पीड़िता के पहने हुये कपड़ों तथा अभियुक्त के पहने हुये कपड़ों को कब्जे में लेकर वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है एवं घटना के समय साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किये गये मोबाइलों का काल डिटेल प्राप्त कर घटना से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। गिरफ्तार किये गये तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जिनका विवरण इस प्रकार है-

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पिंटू पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम अलीगढ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई
2. चांदनी पुत्री मदन निवासी ग्राम सिरधपुर मजरा गैर एहतमाली थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव
3. सोनू पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम सिरधपुर गैर एहतमाली थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी का स्थान – स्व० रमाशंकर दीक्षित बालिका इण्टर कालेज सिरधरपुर बांगरमऊ

गिरफ्तारी का दिनांक –17.09.2021

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री मुकुल प्रकाश वर्मा (थाना बांगरमऊ)
- 2.उ०नि० श्री अवधेश सिंह (थाना बांगरमऊ))
- 3..का० पुष्पेन्द्र कुमार (थाना बांगरमऊ)
5. का० अर्पित कुमार (थाना बांगरमऊ)
6. म०का० रोशनी सिंह (थाना बांगरमऊ)
7. कां०चा० शारिक (थाना बांगरमऊ)



प्रेस नोट, दिनांक 17.09.2021

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- उ०नि० श्री रोहित कुमार पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल के साथ थाना गंगाघाट पर पंजीकृत मु०अ०सं० 165/21 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संतोष बाथम पुत्र जगदीश प्रसाद नि० शक्तिनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव को उनके घर से गिरफ्तार किया गया उक्त सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण -

- 1- संतोष बाथम पुत्र जगदीश प्रसाद नि० शक्तिनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव।

आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 97/18 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 3 डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट
- 2- मु०अ०सं० 165/21 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उ०नि० श्री रोहित कुमार पाण्डेय
- 2- का० पंकज कुमार
- 3- का० सुजीत सिंह



प्रेस नोट, दिनांक 17.09.2021

थाना बारासगवर, जनपद उन्नाव।

एक किलो गाँजे के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा एक किलो गाँजा के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- उ०नि० रवीन्द्र मालवीय मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगण 1. मनीष द्विवेदी पुत्र स्व० दुर्गेन्द्र द्विवेदी नि० खेमानखेडा थाना सरेनी जिला रायबरेली उम्र 26 वर्ष व शिवप्रताप सिंह पुत्र वीर प्रताप सिंह नि० धानीखेडा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव उम्र करीब 42 वर्ष के पास से दो अदद प्लास्टिक की पन्नियो में 500-500 ग्राम गाँजा बरामद हुआ। गाँजा की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त मनीष द्विवेदी पुत्र स्व० दुर्गेन्द्र द्विवेदी नि० खेमानखेडा थाना सरेनी जिला रायबरेली उम्र 26 वर्ष के विरुद्ध मु०अ०सं० 137/21 धारा 8/20 NDPS Act तथा अभियुक्त शिवप्रताप सिंह पुत्र वीर प्रताप सिंह नि० धानीखेडा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव उम्र करीब 42 वर्ष के विरुद्ध मु०अ०सं० 138/21 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।



नाम पता अभियुक्तगण -

1. मनीष द्विवेदी पुत्र स्व० दुर्गेन्द्र द्विवेदी नि० खेमानखेडा थाना सरेनी जिला रायबरेली उम्र 26 वर्ष
2. शिवप्रताप सिंह पुत्र वीर प्रताप सिंह नि० धानीखेडा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव उम्र करीब 42 वर्ष

बरामदगी

दो अदद प्लास्टिक की पन्नी में 500-500 ग्राम गांजा

गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 रवीन्द्र मालवीय थाना बारासगवर उन्नाव
- 2.का0 दुष्यन्त कुमार थाना बारासगवर उन्नाव
- 3.का0 अमरजीत थाना बारासगवर उन्नाव
- 4.का0 रोहित कुमार थाना बारासगवर उन्नाव



प्रेस नोट, दिनांक 17.09.2021

थाना बेहटामुजावर, जनपद उन्नाव।

धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटामुजावर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने वाले दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दो वर्ष पूर्व मृतका केसा पत्नी मिट्ठा निवासी जोगीकोट के स्थान पर दूसरी महिला बिटोला पत्नी स्व० बाबूलाल नि० अवस्थीखेड़ा थाना बेहटा मुजावर उन्नाव को रजिस्ट्री कार्यालय में खड़ा करके धोखाधड़ी करते हुये वांछित अभियुक्त मेवालाल पुत्र स्व० मैकू नि० प्रेमगंज थाना बांगरमऊ उन्नाव द्वारा समक्ष गवाह भाई राजाराम के वर्ष 2020 में फर्जी बैनामा करा लिया गया। वादी मुकदमा कमलेश कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी गुलाम मुस्तफा कस्बा व थाना बांगरमऊ की तहरीरी सूचना पर थाना बेहटा मुजावर में दिनांक 13.01.2021 को मु०अ०सं० 07/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तों 1.मेवालाल पुत्र मैकू निवासी प्रेमगंज थाना बांगरमऊ उन्नाव, 2.राजाराम पुत्र मैकू निवासी प्रेमगंज थाना बांगरमऊ उन्नाव जिला उन्नाव को जुर्म प्रमाणित होने पर गिरफ्तारी हेतु मुखबिर खास की सूचना पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अंडरपास से कहीं जाने की फिराक में थे, सुबह करीब 05.00 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।



नाम पता अभियुक्तगण -

- 1.मेवालाल पुत्र मैकू निवासी प्रेमगंज थाना बांगरमऊ उन्नाव,
- 2.राजाराम पुत्र मैकू निवासी प्रेमगंज थाना बांगरमऊ उन्नाव जिला

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 राजेश कुमार
- 2.उ0नि0 सुबोध कुमार मिश्रा
- 3.हे0का0 विनोद कुमार
- 4.का0 धर्मपाल